वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 24.11.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ", आज, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स, जनसंदेश टाइम्स, न्यायाधीश ,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

आज–दि0 24.11.2024

दो अनाधिकृत निर्माण हुए सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर शनिवार को भी अनाधिकृत निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण की काररवाई जारी रही। भेलूपुर वार्ड में ५३ए, लेन नंबर पांच रविंद्रपुरी कालोनी में भवन निर्माण कराया जा रहा था। भवन स्वामी ने मौके पर विप्रा अभियंताओं को मानचित्र नही दिखा सके। इसी प्रकार कुलदीप पाण्डेय भवन संख्या बी१/५३-ए-जे-एच में लगभग दस दूकानों का निर्माण कराया जा रहा था। यहां भी मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय जोनल अधिकारी और अवर अभियंता ने भवन स्वामी से विप्रा की अनुमति मांगी जिसे दिखाने में भवन स्वामी असफल रहा। दोनों भवनों को मौके पर सीज कर दिया गया और कार्य कर रहे मजदूरों को भगा दिया गया। सील करने के बाद भेलूपुर थाने की अभिरक्षा में दोनों भवनों को सौंप दिया गया।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 24.11.2024

वीडीए ने सील किये अवैध निर्माण

वाराणसी। वीडीए की तरफ से लगातार अवैध निर्माणों को सील किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को विकास प्राधिकरण जोन चार के भेलूपुर वार्ड में प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही की गयी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर भेलूपुर वार्ड में अवैध निर्माणों को सील किया गया। जोन चार में रविंद्रपुरी क्षेत्र में असलम की तरफ से अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे वीडीए की प्रवर्तन टीम ने सील किया। जोन चार में कुलदीप पाण्डेय ने अस्सीघाट क्षेत्र में लगभग 2400 वर्गफीट के क्षेत्रफल में टिनशेड कर 10 दुकानों का निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अवैध निर्माण को सील किया गया। प्रवर्तन टीम ने सील किये गये निर्माणों को पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया। मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता राकेश सिंह व सोनू कुमार तथा प्रवर्तन टीम उपस्थित रहें।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 24.11.2024

जोन–3 के वार्ड चौक में कई भवनों को सील किया गया

वाराणसी। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आज वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जोन-3 के वार्ड चौक क्षेत्र में चार भवनों को सील कर दिया। यह कार्रवाई जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति और अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश के नेतृत्व में कई भवनों को सील किया गया। बादशाह अली का भवन सी.के. 43/164 वार्ड–चौक, वाराणसी। बिना प्राधिकृत मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। मौके पर निर्माण कार्य बंद कराते हुए भवन को सील किया गया।मो. दशहक व श्री इकरार हाशमी का भवन सी.के. 46/0, स्थान= मो. भीखाशाह गली, वार्ड–चौक, वाराणसी। लगभग 20 वर्षों में निर्मित बी+जी+4 भवन में अवैध रूप से बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा था। इस भवन पर पूर्व में भी बेसमेंट निर्माण के कारण उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत वाद योजित है। अवैध निर्माण कार्य को रोकते हुए आज इसे सील किया गया। गोपी नाथ केसरी का भवन (सी.के. 51/01), स्थान= वार्ड–चौक, वाराणसी। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बी+जी+2 का व्यावसायिक भवन निर्माण पूरा कर लिया गया था और तृतीय तल पर शटरिंग का कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य रोककर भवन को सील किया गया।श्री कीर्ति दूबे का भवन सी.के. 57/10 = वार्ड–चौक, वाराणसी बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बी+जी+2 का व्यावसायिक भवन निर्माण पूरा किया गया था और तृतीय तल पर शटरिंग का कार्य चल रहा था। मौके पर निर्माण कार्य बंद कर भवन को सील कर दिया गया।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

जनसंदेश टाइम्स–दि0 24.11.2024

अवैध निर्माण पर वीडीए सख्त

की कार्रवाई

चौक और भेलूपुर वार्डों में चला अभियान,छह निर्माण सील

वाराणसी। शहर में अवैध निर्माण को लेकर वीडीए इन दिनों काफी सख्त है। चौक और भेलूपुर वार्डों में जहां जबरदस्त अभियान चलाया, वहीं छह जगहों पर किये जा रहे अवैध निर्माण को सील कर निर्माता के विरुद्ध कारवाई भी की। इसको लेकर विभाग की टीम उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर शुक्रवार को जहां चौक में तो शनिवार को भेलूपुर वार्ड में पहुंचा। जहां बिना नक्शा पास कराये हो रहे भवन निर्माण को देखा और पूछताछ की।

इस दौरान जोनल अधिकारी अधिकारी सौरभ प्रजापति और अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश के नेतृत्व में वीडीए की टीम शुक्रवार को चौक वार्ड में पहुंचा। जहां बादशाह अली का भवन,मो. दशहक, इकरार हाशमी [illegible] बेसमेंट का निर्माण किये जा रहे अवैध निर्माण को देखा। वहीं वार्ड के ही चौक क्षेत्र में गोपी नाथ केसरी का तृतीय तल पर चल रहे अवैध शटरिंग के कार्य की पूछताछ की। जबकि चौक क्षेत्र के ही कीर्ति दूबे द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कराये जा रहे व्यावसायिक भवन पर आपत्ति की। वीडीए की प्रवर्तन टीम ने मौके पर उक्त निर्माण कार्य को तत्काल बंद कराया और सील की सख्त कारवाई की। इसी क्रम में वीडीए की टीम जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी और अवर अभियंता राकेश मिश्र के नेतृत्व में लावलश्कर के साथ भेलूपुर वार्ड में जा पहुंचा।

जहां रविन्द्रपुरी कालोनी में असलम द्वारा प्लाट पर अवैध निर्माण और अस्सी घाट पर कुलदीप पाण्डेय ने 2400 वर्गफुट के क्षेत्रफल में टिनशेड कर 10 दुकानों का निर्माण कार्य किये जाने को देखा और पूछताछ की। इस दौरान टीम ने निर्माण कार्य को जहां तत्काल रोक लगा दिया, वहीं सील की सख्त कारवाई भी किया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 24.11.2024

जोन-3 के वार्ड चौक में कई भवनों को सील किया गया

वाराणसी। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आज दिनांक - 22/11/2024 को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जोन-3 के वार्ड चौक क्षेत्र में चार भवनों को सील कर दिया। यह कार्रवाई जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति और अवर अभियंता रविंद्र प्रकाश के नेतृत्व में की गई। सील किए गए भवन निम्नलिखित हैं:श्री बादशाह अली का भवन (सी.के. 43/164), स्थानः वार्ड-चौक, वाराणसी। बिना प्राधिकृत मानचित्र स्वीकृत कराए भूतल पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। मौके पर निर्माण कार्य बंद कराते हुए भवन को सील किया गया।मो. दशहक व श्री इकरार हाशमी का भवन (सी.के. 46/07), स्थानः मो. भीखाशाह गली, वार्ड-चौक, वाराणसी। लगभग 20 वर्षों में निर्मित बी+जी+4 भवन में अवैध रूप से बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा था। इस भवन पर पूर्व में भी बेसमेंट निर्माण के कारण उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत वाद योजित है। अवैध निर्माण कार्य को रोकते हुए आज इसे सील किया गया।श्री गोपी नाथ केसरी का भवन (सी.के. 51/01), स्थानः वार्ड-चौक, वाराणसी। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बी+जी+2 का व्यावसायिक भवन निर्माण पूरा कर लिया गया था और तृतीय तल पर शटरिंग का कार्य चल रहा था। निर्माण कार्य रोककर भवन को सील किया गया।-श्री कीर्ति दूबे का भवन (सी.के. 57/10), स्थानः वार्ड-चौक, वाराणसी। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बी+जी+2 का व्यावसायिक भवन निर्माण पूरा किया गया था और तृतीय तल पर शटरिंग का कार्य चल रहा था। मौके पर निर्माण कार्य बंद कर भवन को सील कर दिया गया।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की गयी

वाराणसी।उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4, वार्ड- भेलूपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी और सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी , अवर अभियंता राकेश सिंह व सोनू कुमार तथा प्रवर्तन टीम उपस्थित रही सील बंद कराये गये निर्माणों का विवरण निम्नवत हैः. जोन-4 में श्री असलम, पताः-रविन्द्रपुरी कॉलोनी, प्लाट संख्या-न0-53ए,लेन नं0 5,वार्ड-भेलूपुर वाराणसी का अवैध निर्माण सील किया गया।2.जोन-4 में श्री कुलदीप पाण्डेय, भवन संख्या-1/153-ए-जे-एच, अस्सी घाट,वार्ड-भेलूपुर, लगभग 2400 वर्गफीट के क्षेत्रफल में टिनशेड कर 10 दुकानों का निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अवैध निर्माण को सील किया गया।(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)